बाल मजदूरी मिटे जहां - पूरी हो शिक्षा जहां

उत्तर प्रदेश सरकार

FAQs

कई सवाल, उनके जवाब

Working towards a future without chiild labour

बाल श्रम से मुक्त भविष्य की ओर

Year of Production : 2013

परिचय

देश के हर कोने में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, आपकी नजर ऐसे बच्चे पर जरूर कभी गई होगी जिसकी उम्र स्कूल जाने की हो, परन्तु वह किसी व्यवसाय में लगा या लगी हुई है। ये बच्चे खेतों में काम करते पाये जाते हैं, या फिर पन्सारी या चाय की दुकान, होटलों और ढाबों पर।

भारत के संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, खदान या किसी जोखिम पूर्ण उद्योग में लगाने पर प्रतिबंध है। इन प्रावधानों के बावजूद बाल श्रम लगभग हर क्षेत्र में एवं हर उद्योग में दिखाई देता है।

पत्रकारों के रूप में और समाज के प्रहरियों के रूप में बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन में आपकी भूमिका अनेक रूप से महत्वपूर्ण है। आप इस मुद्दे पर उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से रिपोर्टिंग करके और समाचार एवं लेख प्रकाशित कर समाज में जागरूकता लाने में मदद कर सकते हैं और साथ ही इस मुद्दे को लेकर कार्य करने वाली सरकारी, गैर–सरकारी संस्थाओं के लिए एक दबाव समूह का कार्य कर सकते हैं।

मूल रूप से आपकी जानकारी और सहायता के उद्देश्य से लिखी गई यह पुस्तिका भारत और उत्तर प्रदेश में बाल श्रम की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए उसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा यह संचार माध्यमों की भूमिकाओं, दायित्वों और बच्चों के संबंध में रिपोर्टिंग करते समय याद रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी उजागर करती है। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तिका आपके लिए बाल श्रम के मुद्दे पर समाचार और लेख तैयार करने में उपयोगी और सहायक सिद्ध होगी।

Background

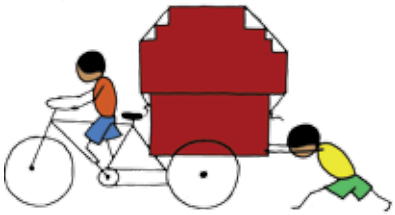

What is child labour?

The concept and definition of child labour varies and differs in most of the existing legal and policy documents, whether international or in the Indian framework.

According to **Article 32** of the **United Nations Convention on the Rights of the Child** (UNCRC), the State is obliged to protect children from engaging in work that constitutes a threat to their health, education or development, to set minimum age for employment, and to regulate conditions of employment.

Child labour deprives children of their fundamental right to education and is a violation of Child Rights. Children have the right to a joyful childhood, to grow up in a safe and nurturing environment with protection and guidance from their guardians, free from exploitation and abuse.

International Labour Organization (ILO) defines child labour as work that deprives children of their childhood, potential and dignity, and that is harmful to physical and mental development. It refers to work that:

- is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful to children
- interferes with their schooling by:
  - depriving them of the opportunity to attend school
  - obliging them to leave school prematurely
  - requiring them to attempt to combine school attendance with excessively long and heavy work

The **Indian Constitution** recognises the right of all children aged 6-14 years to free and compulsory education (Article 21A); prohibits forced labour (Article 23); prohibits employment of children under 14 in hazardous occupations (Article 24); and establishes that policies should be in place to protect children from exploitation (Article 39).

बाल श्रम बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित रखता है और साथ ही साथ बाल अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। बच्चों का अधिकार है कि आनंदपूर्ण बचपन, अपने अभिभावकों की ओर से सुरक्षा और मार्गदर्शन के साथ शोषण व उत्पीड़न से मुक्त होकर भय रहित और पालन-पोषण कारी वातावरण मिले।

पृष्ठभूमि

बाल श्रम क्या है?

भारतीय ढांचे में हो या अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में, अधिकांश मौजूदा कानूनी और नीतिगत दस्तावेजों में बाल श्रम की अवधारणा और परिभाषा अलग–अलग है।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के **(यू.एन. सी.आर.सी.) अनुच्छेद 32** के अनुसार, राष्ट्रों का यह दायित्व है कि बच्चों को उन सभी कार्यों से बचाएं जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा या विकास के लिए खतरा हो। साथ ही बच्चों की मजदूरी की न्यूनतम आयु निर्धारित करना और उनके रोजगार की शर्तों का नियमन करना भी राष्ट्रों का दायित्व है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के अनुसार, किसी भी ऐसे कार्य को, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनके बचपन, संभावित क्षमता और सम्मान से वंचित करता है; जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिये नुकसानदेह है, को बाल श्रम कहते हैं।

इसका अर्थ है ऐसा कार्यः

- जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक रूप से बच्चे के लिए खतरनाक व नुकसानदेह हो
- जो निम्न रूपों में विद्यालय में उसकी शिक्षा में बाधा डालता होः
  - विद्यालय में उपस्थित होने के अवसर से उन्हें वंचित रखता हो
  - उन्हें बीच में स्कूल की पढ़ाई छोड़ने को मजबूर करे; या
  - उन्हें विद्यालय में उपस्थिति के साथ–साथ काफी समय तक भारी काम करने के लिए मजबूर करे।

भारतीय संविधान, 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की मान्यता देता है (अनुच्छेद 21 ए), जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है (अनुच्छेद 23), 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जोखिमपूर्ण रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है (अनुच्छेद 24) और बच्चों को शोषण से सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त नीतियों की व्यवस्था भी करता है (अनुच्छेद 39)।

UNICEF estimates that

150 million children,

aged 5-14 years, worldwide are engaged in child labour.

यूनिसेफ के अनुमान के अनुसार विश्वभर में 5–14 वर्ष की आयु के

15 करोड़ बाल श्रमिक हैं।

What is the magnitude of child labour in India and in Uttar Pradesh?

India has the largest number of child labourers in the world. According to Census 2001, there were **12.7 million** economically active children in the age group of 5-14 years.

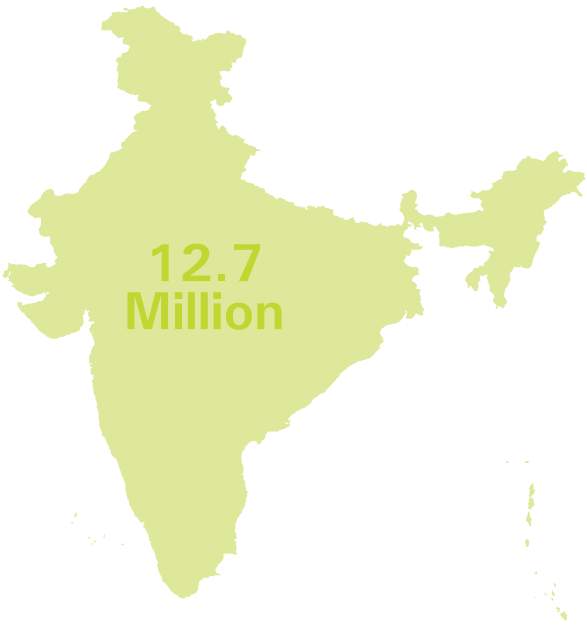

भारत और उत्तर प्रदेश में बाल श्रम कितना व्यापक है?

विश्व में सबसे अधिक बाल श्रमिक भारत में हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 5–14 वर्ष की आयु वर्ग में **1 करोड़ 27 लाख** बच्चे आर्थिक रूप से सक्रिय हैं।

The state of Uttar Pradesh tops the list of Indian states in terms of the number of child labourers. Statistics from Census 2001 indicate that the state is home to approximately **1.927 million** working children, which accounts for 20 percent of all child labourers in India.

उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं। 2001 की जनगणना के आंकड़ों से यह पता लगता है कि राज्य में **19 लाख 27 हजार** बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, जो भारत के कुल बाल श्रमिकों का 20 प्रतिशत है।

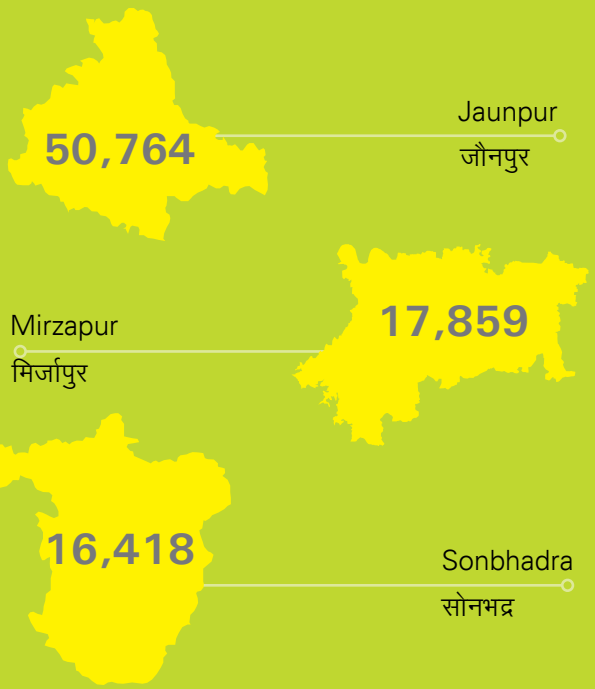

Some of the sectors employing children as labour are:

- Carpet industry (including ancillaries)
- Saree weaving
- Embroidery
- Brassware
- Brick kiln
- Stone crushing
- Mining/quarrying
- Agriculture
- Collection of Minor Forest Produce
- *Beedi* making
- Hotel/dhaba
- Domestic work
- Rag picking
- Beggary
- Automobile
- Construction

What is the child labour scenario in Uttar Pradesh?

In Uttar Pradesh, children work in a number of industries, most of which are classified under "hazardous" forms of child labour. In addition, they also receive low wages. A large number of them are out of school, while the rest are irregular in school. Since a majority of children are engaged in the informal sector which is usually agriculture and home-based, it becomes difficult to detect and monitor them.

What are the main causes of child labour?

Some of the key reasons behind continued use of children as labour are:

1. **Poverty:** Usually children and their families themselves approach employers for work. Large family size, erratic income of parents and social responsibilities push children to paid work, even if it is low cost and hazardous.
2. **Existing social attitudes:** Based on caste and social stratification, exclusion, indebtedness of families to money lenders, ineffective functioning and poor social protection mechanisms. These result in limited or weak capacity of families and communities to fulfill and realise their children's rights, especially among socially excluded populations.
3. **Lack of quality education:** This has an impact on issues of equity/equality in schools and retention of children enrolled into schools (especially among girls who don't get family support to continue studies).

बच्चों को काम पर रखने वाले विभिन्न उद्योग इस प्रकार हैं:

- कालीन उद्योग
- साड़ी बुनाई
- कढ़ाई
- पीतल के बर्तन और सामान बनाने का उद्योग
- ईंट भट्टा उद्योग
- बीड़ी उद्योग
- पत्थर की घिसाई
- खनन/पत्थर खदान
- कृषि
- लघु वन उत्पाद एकत्र करना
- होटल/ढाबा
- घरेलू कार्य
- कचरा बीनना
- भीख मांगना
- ऑटोमोबाइल
- निर्माण उद्योग

उत्तर प्रदेश में बाल श्रम की क्या स्थिति है?

उत्तर प्रदेश में बच्चे अनेक उद्योगों में काम करते हैं जिनमें से ज्यादातर जोखिम पूर्ण भी होते हैं, जिसके लिये उन्हें बहुत कम पैसा या मेहनताना दिया जाता है। बच्चे बड़ी संख्या में बाल श्रम में लिप्त हैं जिनमें से अधिकांश स्कूल से बाहर हैं और अन्य बच्चे अनियमित रूप से स्कूल जाते हैं। चूंकि अधिकांशतः बच्चे अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो ज्यादातर कृषि और गृह आधारित हैं, इस कारण उनका पता लगाना और उनकी निगरानी करना मुश्किल हो जाता है।

बाल श्रम के मुख्य कारण क्या हैं?

बच्चों का श्रमिकों के रूप में उपयोग किये जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

1. **गरीबी:** आमतौर पर बच्चे और उनके परिवार काम के लिए खुद उद्यम मालिकों के पास जाते हैं। बड़ा परिवार, आय की कमी और सामाजिक दायित्व बच्चों को काम करने पर मजबूर करते हैं। इसके बावजूद भी उद्यमों से आय बहुत कम मिलती है और काम भी जोखिमपूर्ण होता है।
2. **वर्तमान सामाजिक रवैये:** इनका कारण जाति, सामाजिक स्तरीकरण, निष्कासन, परिवारों का साहूकारों के कर्जे में डूबा रहना, अप्रभावी कार्यशैली और खराब सामाजिक सुरक्षा तंत्र है। इन सभी कारणों से बच्चों के अधिकारों की पूर्ति कर पाने में परिवारों और समुदायों की – खासकर सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की – क्षमता सीमित हो जाती है।
3. **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी:** इसका प्रभाव शिक्षा की संबद्धता, स्कूल में समानता से जुड़े मुद्दे और बच्चों की शिक्षा की निरंतरता (खासकर लड़कियों की, जिन्हें अक्सर शिक्षा के लिए उनके परिवारों का भी सहायोग नहीं मिलता) पर पड़ता है।

4. **Prevailing social norms:** These are mostly around sending children to work because of a lack of understanding of the harmful effects of child labour.
5. **Inadequate awareness**: This leads to poor understanding and appreciation by parents, community and service providers about child rights, child protection and long-term benefits of education.
6. **Lack of strict enforcement**: An absence of enforcement of child protection laws and child labour legislation creates an overall environment that is detrimental to any effort that is geared to reduce child labour in any industry/setting.
7. **Weak child protection structures:** In the event of any untoward incident, people should be able to access a suitable child protection structure immediately. Not only must credible set-ups be established but they also should be popularised and be part of homes, work places etc where victims may want to reach and access them.
8. **Limited access:** In a similar vein adequate knowledge of social welfare schemes and other entitlements should be made available to families and communities. They should be facilitated in availing the same as also a feedback mechanism should be allowed to follow-up and evaluate their effectiveness.
9. **Few alternatives to cheap labour**: Children are considered to be easily available human resources who are uncomplicated, easy to manipulate and mould to suit the nature of work. They are cheap labour who cannot fight for their rights; and hence preferred by employers. Since there aren't many substitutes to this form of cheap labour, the trend to hire them continues unabated.
10. **Lack of community action:** The overall climate under which child labour exists and even thrives is indicative of an insensitive and apathetic society where community action is all but missing, since the existing scenario has existed for long and there is a silent acceptance of it.

Considering the magnitude and extent of the child labour issue and that it is essentially a socio-economic problem which is linked to poverty and illiteracy, it requires concerted efforts from all sections of the society to eliminate child labour.

4. **प्रचलित सामाजिक मानदंडः** इनका सम्बन्ध बाल श्रम से होने वाले दुष्प्रभावों की समझ के अभाव के कारण ज्यादातर बच्चों को मजदूरी पर भेजने से है।
5. **अपर्याप्त जागरूकताः** क्योंकि परिवारों, समुदायों और सेवा प्रदाताओं के बीच बाल अधिकारों, बाल संरक्षण और शिक्षा के दीर्घकालिक लाभ के बारे में अपर्याप्त समझ होती है।
6. **बाल संरक्षण कानूनों को कड़ाई से लागू न किया जानाः** बाल संरक्षण कानूनों और अधिनियमों के लागू न होने के अभाव में एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जो किसी भी उद्यम में बाल मजदूरी को कम करने के प्रयासों के लिए हानिकारक होता है।
7. **बाल संरक्षण ढांचों का कमजोर होनाः** यह जरूरी है कि कोई अनचाही घटना होने पर, लोग जल्दी से उपयुक्त बाल संरक्षण संस्था तक पहुंच सकें। ढांचे न केवल विश्वसनीय रूप से स्थापित होने चाहिए बल्कि इनका प्रचार–प्रसार होना चाहिए और इन्हें घरों तथा कार्य स्थल का हिस्सा होना चाहिए ताकि पीड़ित लोग सहायता प्राप्त कर सकें।
8. **सीमित पहुंचः** परिवारों और समुदायों को कल्याणकारी योजनाओं और अन्य अधिकारों का पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लाभ प्राप्त कराने में मदद की जानी चाहिए तथा उनके प्रभावशीलता का अनुश्रवण और मूल्यांकन करने के लिए फीडबैक कार्यतंत्र बनाया जाना चाहिए।
9. **सस्ते दाम पर उपलब्ध श्रमः** बच्चों को आसानी से उपलब्ध होने वाला मानव संसाधन माना जाता है क्योंकि उन्हें आसानी से समझा–बुझाकर उनसे कोई भी काम कराया जा सकता है। उनका श्रम सस्ता होता है और वे अपने अधिकारों के लिये नहीं लड़ पाते। इस कारण उन्हें नियोजकों द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि इस प्रकार के सस्ते श्रम का कोई विकल्प नहीं हैं इसलिए उन्हें काम पर रखने का रूझान बिना रोक टोक चल रहा है।
10. **बाल श्रम के विरूद्ध सामुदायिक कार्रवाई का अभावः** जिस माहौल में बाल श्रम मौजूद है और यहां तक कि पनप भी रहा है, वह एक ऐसे असंवेदनशील और उदासीन समाज का संकेत देता है जिसमें सामुदायिक कार्रवाई का अभाव है। क्योंकि यह वर्तमान स्थिति लम्बे समय से जारी है, इसलिए इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया गया है।

बाल श्रम समस्या की व्यापकता और विस्तार एवं इस बात पर विचार करते हुए कि यह मूलतः एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है और गरीबी एवं निरक्षरता से जुड़ी है, बाल श्रम मिटाने के लिए समाज के सभी वर्गों के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है।

What are the different forms of child labour?

Basically, child labour falls into five categories:

- Hazardous work or labour which jeopardises the physical, mental or moral well-being of a child, either because of its nature or the conditions under which it is carried out. This includes occupations like stone crushing, construction, mining, glass ware etc.

- Other "intolerable" worse forms of child labour like slavery, trafficking, debt bondage and other forms of forced labour; forced recruitment for use in armed conflict and illicit activities

- Labour performed by a child who is under a certain age and specified for that kind of work and is thus likely to impede the child's education and full development

- Labour performed by a child which contributes to enhancing the income of the household

- Other 'hidden' forms of child labour like home-based labour (including agricultural labour)

बाल श्रम के अलग-अलग रूप क्या हैं?

मूल रूप से बाल श्रम के निम्न पांच रूप हैं:

❖ जोखिमपूर्ण कार्य या श्रम जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक और नैतिक कल्याण को खतरे में डालता है। इसके अंतर्गत पत्थर घिसाई, भवन निर्माण, खनन, कांच के बर्तन के उद्योग शामिल हैं।

❖ गुलामी, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी जैसे बाल श्रम के असहनीय रुप। इसके अलावा सशस्त्र टकरावों और अनैतिक कार्यकलापों के लिए बच्चों को जोर जबर्दस्ती भर्ती करना।

❖ बच्चों द्वारा ऐसा कार्य करना जो उनकी आयु के उपयुक्त न हो। यह कार्य बच्चे की शिक्षा और पूर्ण विकास को बाधित कर सकता है।

❖ बच्चों द्वारा ऐसा श्रम करना जो पारिवारिक आमदनी में योगदान करे या परिवार की आमदनी को बढ़ाये।

❖ बाल श्रम का छिपा हुआ रूप जैसे कि घरों में गृह–आधारित काम (कृषि कार्य सहित)।

Laws, Acts & Institutional Mechanisms

What are the important Laws and Acts for the prevention and elimination of child labour?

- **The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986:** The employment of children below the age of 14 years in any activity is legally non-permissible and also the employment of children in the age group of 14-18 years in hazardous condition is also illegal.
- **The Factories Act, 1948:** The Act prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory. The law also placed rules on whom, when and how long can pre-adults aged 15–18 years be employed in any factory.
- **The Mines Act, 1952**: The Act prohibits the employment of children below 18 years of age in a mine.
- **UN Convention on Rights of the Child (UNCRC), 1989**: India had signed and ratified the UNCRC on December 11, 1992 and submits periodic reports to the UN on CRC. According to Article 32, *"The government should protect children from work that is dangerous or might harm their health and/or education. Parents should be prohibited from expecting their children to help out at home in ways that are safe and appropriate to their age. If children help out in a family farm or business, the tasks they do must be safe and suited to their level of development. They must comply with national labour laws. Children's work should not jeopardise any of their other rights, including the right to education, or the right to relaxation and play."*
- **The Juvenile Justice (Care and Protection) of Children Act, 2000**: This law made it a crime, punishable with a prison term, for anyone to procure or employ a child in any hazardous employment or in bondage.
- **The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009**: The law mandates free and compulsory education to all children aged 6 to 14 years. This legislation also mandated that 25% of seats in every private school must be allocated for children from disadvantaged groups and physically challenged children.

कानून, अधिनियम और संस्थागत तंत्र

बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के लिये महत्वपूर्ण कानून या अधिनियम क्या हैं?

- **बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986:** कारखानों, खदानों और खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाता है और अन्य रोजगारों में बच्चों के काम करने की स्थिति को नियंत्रित करता है। अधिनियम के अनुसार 13 खतरनाक व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करता है। इस अधिनियम को लागू करने के लिये राज्य सरकार उचित प्राधिकरण है जबकि, राज्य में श्रम विभाग को लागू करने का अधिकार है।
- **कारखाना अधिनियम, 1948:** यह अधिनियम किसी भी फैक्ट्री में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर रखने का निषेध करता है। इसमें यह नियम भी बताये गये हैं, कि 15–18 वर्ष के नाबालिगों को कब और कितने समय काम पर रखा जा सकता है।
- **खान अधिनियम 1952:** यह अधिनियम 18 साल से कम उम्र के किशोर या बच्चे का किसी खदान में रोजगार निषेध करता है।
- **बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सी.आर.सी.), 1989:** 11 दिसंबर 1992 को भारत ने बाल अधिकारों पर राष्ट्र संघ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर उसकी पुष्टि की थी, और इस सम्बन्ध में वह नियमित समय पर रिपोर्ट भेजता रहा है। इस अधिनियम के अनुच्छेद 32 के अर्न्तगत कहा गया है कि "सरकार को ऐसे कार्य से बच्चों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए जो खतरनाक है और उनके स्वास्थ्य या शिक्षा को नुकसान पहुंचा सकते है। माता–पिता को यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि बच्चे घर के काम में मदद करेंगे। यदि बच्चे खेती या व्यवसाय में मदद करते हैं तो उनके काम सुरक्षित होने चाहिए और उनके विकास के स्तर के अनुरूप होने चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय श्रम कानूनों का अनुपालन करना चाहिए। बच्चों का श्रम ऐसा होना चाहिए जो कि शिक्षा के अधिकार या मनोरंजन और खेलने के अधिकार सहित उनके किसी अधिकार को जोखिम में न डाले।
- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000:** यह अधिनियम जोखिमपूर्ण व्यवसाय में या बंधुआ मजदूरी पर बच्चों को काम पर रखने को अपराध घोषित करता है जिसके लिए कारावास की सजा हो सकती है।
- **बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009:** इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक आस–पड़ोस के किसी विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 25 प्रतिशत सीट पिछड़े वर्ग के बच्चों और विकलांग बच्चों के लिए आवंटित की जाऐं।

What are the institutional mechanisms in place for the prevention and elimination of child labour?

Pre-school education in *Anganwadi* Centres (AWC) under the Integrated Child Development Services (ICDS) Programme

Integrated Child Development Services (ICDS), a Government of India sponsored programme, is India's primary social welfare scheme to tackle malnutrition and health problems in children below 6 years of age and their mothers. The main beneficiaries of the programme are all children below 6 years of age, pregnant and lactating women.

The pre-school education component under ICDS aims at developing school readiness along with positive attitudes towards education for children in the age group 3-6 years. This is to ensure the physical and mental health of the child. Every AWC has to be provided a pre-school kit containing possible play activities and items to be used by the child.

Integrated Child Protection Scheme (ICPS)

Integrated Child Protection Scheme is a centrally sponsored scheme aimed at providing a safe and protective environment for a child. Under this scheme, inter-alia financial assistance is being provided to State Government/UT Administration for setting up and maintaining homes for children in difficult circumstances, including orphan children.

The scheme contributes towards developing an effective and efficient protection mechanism for children. It is based on the principles of 'protection of Child Rights' and 'in the best interest of the child'.

The objectives of the scheme are as follows:

- To provide structural strengthening by institutionalising essential services
- To ensure capacity building at all levels
- To create a database (based on numbers and statistics) and knowledge base for child protection services
- To strengthen child protection at family and community level
- To ensure appropriate response at all levels from different areas
- To raise public awareness

बाल श्रम के उन्मूलन और रोकथाम के लिये संस्थागत कार्यतंत्र क्या-क्या हैं?

समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र पर स्कूल-पूर्व शिक्षा

समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के अन्तर्गत स्कूल–पूर्व अनौपचारिक शिक्षा समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं की कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए यह एक प्राथमिक सामाजिक कल्याण योजना है। कार्यक्रम के मुख्य लाभार्थी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं।

आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत स्कूल–पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य, 3–6 वर्ष के बच्चों को स्कूल के लिये तैयार करना और उनमें शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। हर आंगनवाड़ी केंद्र को सम्भावित खेल सामग्री की किट दी जाएगी, जिसका उपयोग बच्चे कर सकें। इसका उद्देश्य शिशु के उचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। मृत्युदर, अस्वस्थता, कुपोषण और स्कूल से निकाले जाने की घटनाओं को कम करना भी इसका उद्देश्य है।

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS)

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) भारत सरकार की एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ वित्तीय सहायता अनाथ बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आश्रय गृहों की स्थापना और रखरखाव के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के द्वारा प्रदान की जा रही है।

यह योजना बच्चों का कुशल व प्रभावी संरक्षण तंत्र विकसित करने में योगदान देती है। यह 'बाल अधिकारों की सुरक्षा' तथा 'बच्चे के सर्वोच्च हित' के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है।

इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- आवश्यक सेवाओं को संस्थापित कर ढांचागत मजबूती प्रदान करना।
- सभी स्तरों पर क्षमतावर्धन करना।
- बाल संरक्षण सेवाओं हेतु डाटाबेस (आंकड़ों पर आधारित) एवं ज्ञान आधार सृजित करना।
- परिवार व समुदाय के स्तर पर बाल संरक्षण को मजबूत करना।
- विभिन्न क्षेत्रों से सभी स्तरों पर उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- जन जागरूकता बढ़ाना।

Sarva Shiksha Abhiyan

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is Government of India's flagship programme for achievement of Universalisation of Elementary Education (UEE) in a time-bound manner, as mandated by the 86th amendment to the Constitution of India, making free and compulsory education to children of 6-14 years, a fundamental right.

National Child Labour Project

The government is implementing the National Child Labour Project (NCLP) in 266 districts of the country, including metros for rehabilitation of children rescued/ withdrawn from work. Under the Project, children rescued/withdrawn from work are enrolled in special schools, where they are provided with special training program, vocational training, nutrition, stipend, health care, etc. before getting mainstreamed into formal education system.

Apart from the schemes provided above, an important institutional mechanism set up at the state level to administer and enforce all labour related laws is the Department of Labour, Government of Uttar Pradesh

The Department of Labour administers and enforces labour laws to ensure, mainly, provisions relating to social justice and economic inter-dependency, improvement in working conditions, social security, and protection against harassment and exploitation of working children, women and men employed in the organised sector.

In order to prevent child labour, the department of labour should ensure that appropriate ambience is created which discourages such activities. The Labour Department must also coordinate with various departments (ICDS, health, police, administration, education etc.) for various planning and implementation activities in the context of prevention of child labour. It is also involved in rescue of child labourers to present them to CWC or health departments for further verification to establish their age and health condition and ensure appropriate rehabilitation.

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र सरकार की अग्रणी योजना है, जिसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करना है। इसके अंतर्गत हर बच्चे के लिए जो 6–14 वर्ष के बीच की आयु का हो शिक्षा के अधिकार को एक मूलभूत अधिकार बनाया गया है। यह 86वां संविधान संशोधन के प्रावधान पर आधारित है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

सरकार काम से मुक्त कराये गये/हटाये गये बच्चों के पुनर्वास के लिए बड़े शहरों सहित देश के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है। परियोजना के अंतर्गत काम से मुक्त कराये गये बच्चों का विशेष स्कूलों में नामांकन कराया जाता है जहां उन्हें विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखरेख आदि प्रदान की जाती है।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा, सभी श्रम संबंधी कानूनों को लागू करने और उनके प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर स्थापित एक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र, उत्तर प्रदेश सरकार का श्रम विभाग है।

श्रम विभाग, सामाजिक न्याय और आर्थिक आपसी–निर्भरता, कार्य स्थितियों में सुधार, सामाजिक सुरक्षा, काम करने वाले बच्चों, संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं और पुरुषों की शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों का प्रशासन और प्रवर्तन करता है।

बाल श्रम की रोकथाम के लिये, विभाग को एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना चाहिये। बाल श्रम की रोकथाम के संदर्भ में श्रम विभाग को, विभिन्न नियोजन और कार्यान्वयन कार्यकलापों के लिये, विभिन्न विभागों (आई.सी.डी.एस., स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासन, शिक्षा विभाग आदि) के साथ समन्वय करना होगा। वह बाल श्रमिकों के बचाव में भागीदारी कर बचाये गये बाल श्रमिकों को, सी.डब्ल्यू.सी. या स्वास्थ्य विभाग के समक्ष प्रस्तुत करता है ताकि, उनकी आयु और स्वास्थ्य स्थिति का प्रमाणन कर, उनके उपयुक्त पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके।

Key roles and responsibilities of the media

- To regularly write on the issues of child labour, highlight positive stories of change and sensitise the local community
- To highlight the cases of child labour prominently especially child labourers engaged in hazardous activities.
- To exert indirect pressure on the administration for taking action on the issue of child labour
- To advocate and create public dialogue on the cause of child rights and protection
- To try and take up the subject in a campaign mode by urging communities and policy makers to respond to a cause that is for the larger common good

Roles & Responsibilities

How can the media prevent and play a more effective role in preventing child labour?

Media professionals greatly influence how children are viewed in society. They shape public opinion and influence positive behaviour. Hence, the importance for media professionals to give importance to child labour in their news reportage and to highlight both good practices and unhealthy practices that are unearthed in the course of their investigations.

Media can be more effective by uncovering more cases and raise awareness on child labour. As per Article 17 of UNCRC, the media has a duty to disseminate information to children that is of social, moral, educational and cultural benefit to them. The UNCRC also provides journalists with opportunities to hold duty-bearers accountable for the way that they implement protocol in the country.

The media should highlight children's rights, publicise wrong doings, and scrutinise the strengths and weaknesses of the any action taken for child protection. All this provides the media a very powerful position to help prevent and eliminate child labour in the state.

भूमिकाएं और दायित्व

बाल श्रम की रोकथाम तथा उन्मूलन में मीडिया प्रभावशाली भूमिका कैसे अदा कर सकती है?

समाज बच्चों को किस दृष्टि से देखता है, इस पर अनुभवी मीडियाकर्मी बहुत प्रभाव डालते हैं। वे जन सामान्य की विचारधारा को आकार देते हैं और सकारात्मक व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। अतः अनुभवी मीडियाकर्मियों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी समाचार–रिपोर्टिंग में बाल श्रम को महत्व दें और अपनी जांच के दौरान जो अच्छे तौर–तरीके और साथ ही अस्वस्थ तौर तरीके उनकी नजर में आयें और उन्हें उजागर करें।

मीडिया बच्चों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के मामलों को उजागर करके और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरुकता फैलाकर अधिक प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों के अनुच्छेद 17 के अनुसार मीडिया का यह कर्त्तव्य है कि वह बच्चों को सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक लाभ पहुंचाने वाली सामग्री का प्रचार–प्रसार करें।

मीडिया को बच्चों के अधिकारों को उजागर करना चाहिए, गड़बड़ियों को सामने लाना चाहिए, साथ ही बच्चों के लाभ के लिए उठाये गये कदमों की कमजोरियों और क्षमताओं का विश्लेषण भी करना चाहिए। इन सभी से मीडिया को राज्य में बाल श्रम के रोकथाम और उन्मूलन के लिए एक शक्तिशाली स्थिति प्राप्त होगी।

मीडिया की भूमिकाएं और दायित्व

- बाल श्रम के मुद्दे पर नियमित रूप से लिखना, बदलाव के सकारात्मक पहलुओं को प्रकाश में लाना और स्थानीय समुदायों को जागरूक करना।
- बाल श्रम के मामलों को विशेषकर जोखिमपूर्ण कार्यकलापों में बाल श्रमिकों के मामले को प्रमुखता से सामने रखना।
- बाल श्रम के मुद्दे पर कार्रवाई के लिये प्रशासन पर अप्रत्यक्ष दबाव डालना।
- बाल अधिकारों और बाल सुरक्षा के लिए जन संवाद चलाना तथा उनकी पैरवी करना।
- इस विषय को अभियान के रूप में लेकर समुदायों और नीति निर्माताओं से आग्रह करना कि वे एक ऐसे लक्ष्य की दिशा में कार्य करें जो पूरे समाज के हित में हैं।

What are the important points to remember while reporting on children?

Here are some important points media professionals must remember while reporting on children:

1. The dignity and right of every child is to be respected in every circumstance
2. Use fair, open and straightforward methods for obtaining pictures and, where possible, obtain them with the knowledge and consent of children/guardian
3. Avoid publication of images that are damaging to children
4. Consider carefully consequences of publication of any material concerning children
5. Guard against visually or otherwise identifying children, unless it is demonstrated in the public interest
6. Obtain written permission from the child and his/her guardian for all interviews, video or documentary photographs.

बच्चों के सम्बन्ध में रिपोर्टिंग करते समय याद रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदु क्या-क्या हैं?

बच्चों पर रिपोर्टिंग करते समय याद रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं:

1. हर परिस्थिति में ही बच्चे की गरिमा और अधिकारों का सम्मान होना चाहिए।

2. तस्वीरें लेने के लिये निष्पक्ष, सीधी और स्पष्ट पद्धतियों का उपयोग करें और जहां भी सम्भव हो सके, बच्चे/अभिभावक की जानकारी में और उसकी अनुमति से तस्वीर लें।

3. बच्चों के लिये नुकसानदेह चित्रों का प्रकाशन न करें।

4. बच्चों से सम्बन्धित किसी भी सामग्री के प्रकाशन के परिणामों पर ध्यान पूर्वक विचार करें।

5. जब तक जनहित में न हो तब तक बच्चों के चित्र प्रकाशित करने या अन्य रूप में उनकी पहचान करने से बचें।

6. सभी साक्षात्कारों, वीडियो और फोटोग्राफों के लिए बच्चे/उसके अभिभावकों से लिखित अनुमति लें।

Concept and Design: New Concept Information Systems Pvt. Ltd., New Delhi

Department of Labour
Government of Uttar Pradesh
Lucknow

Supported by

unicef

unite for children